संख्या-27/2018/309/26-3-2018

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,

अनुसचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सरोज कुमारी,

राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0

808, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 16 फरवरी 2018

विषयः-वित्तीय वर्ष 2017-18 में मद्यनिषेध विभाग में 0301-मुख्यालय हेतु 01-वेतन-49-चिकित्सा व्यय की मद में एवं 04-मण्डलीय कार्यालयों हेतु 17-किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व की मद में पुनर्विनियोग।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0लखनऊ के पत्र संख्या-2815पी0पी0/26-6/17, दिनांक-08.11.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-"2235-02-105-0301-मुख्यालय के मानक मद 01-वेतन-49-चिकित्सा व्यय एवं 04-मण्डलीय कार्यालय के मानक मद 17-किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व मद में धनराशि रूपया-7.90 लाख (रूपया सात लाख नब्बे हजार मात्र) को अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-"2235-02-105-0301-मुख्यालय के मानक मद 07-मानदेय एवं 04-मण्डलीय कार्यालय के मानक मद 01-वेतन-45-अवकाश यात्रा पर व्यय मद में उपलब्ध बचतों की धनराशि से पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं-

(1)-उक्त स्वीकृति धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षों में स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है।

(3)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4)-जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग वित्तीय वर्ष 2017-18 में नही की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5)-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-03.08.2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-80 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-''2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-105- नशाबन्दी-0301- मुख्यालय-04-मण्डलीय कार्यालय के नामें डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-09 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-246/दस-2018,दिनांक-05 फरवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनुसचिव।

संख्या-27/2018/309(1)/26-3-2018 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2-महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) उ0प्र0इलाहाबाद।
3-निदेशक समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
4-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
5-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
7-निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
8-राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
9-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी0एम0–9 (भाग–1)
पुर्नविनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन
(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

अनुदान संख्या–80–(मद्य निषेध विभाग) समाज कल्याण विभाग वित्तीय वर्ष 2017–18 (रू0 लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण					
02–सामज कल्याण					
105–नशाबन्दी					
0301–मुख्यालय					
07–मानदेय	1.05	1.00	1.00	1.00	0.05
04–मण्डलीय कार्यालय					
01–वेतन	294.64	4.90	4.90	4.90	289.74
45–अवकाश यात्रा व्यय	3.00	2.00	2.00	2.00	1.00
योग	298.69	7.90	7.90	7.90	290.79

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्तविभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग(8+11)
7	8	9	10	11	12
2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण					
02–समाज कल्याण					
105–नशाबन्दी					
0301–मुख्यालय					
01–वेतन	55.30	60.00	4.70	4.70	60.00
49–चिकित्सा व्यय	1.80	3.00	1.20	1.20	3.00
04–मण्डलीय कार्यालय					
17–किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	6.00	8.00	2.00	2.00	8.00
योग	63.10	71.00	7.90	7.90	71.00

(1) स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:– स्तम्भ–1 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों से बचत वास्तविक आवश्यकता के अनुसार है।
(2) स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है:–01–वेतन की मद से कम धनराशि, 49 चिकित्सा व्यय की मद में अवशेष दावों के भुगतान हेतु किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व की मद में गोरखपुर कार्यालय के किराये मे बढोत्तरी एवं इलाहाबाद कार्यालय के अवशेष किराये के भुगतान हेतु।
(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्नविनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर 150, 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या–आर0ई0– 246 /दस–2018 दिनांक 05 फरवरी ,2018

सेवा में,
महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उ0प्र0, इलाहाबाद।

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव
समाज कल्याण विभाग।

राम रतन,
उप सचिव
वित्त विभाग

so bm 9

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या–27/2018/309(1)/26–3–2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद।

2–महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) उ0प्र0इलाहाबाद।

3–निदेशक समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

4–मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।

5–वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3

6–वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)

7–निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।

8–राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।

9–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।